

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018—माघ 5, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्र. 1433-21-इक्कीस-अ (प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 जनवरी, 2018 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१८

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
२. परिभाषाएं.

## अध्याय-दो

## फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक

३. फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक.

## अध्याय-तीन

## फीस में वृद्धि के विनियमन हेतु प्रक्रिया

४. लेखाओं की प्रस्तुति एवं फीस में वृद्धि के प्रस्ताव हेतु प्रक्रिया.  
५. फीस में वृद्धि का विनियमन.

## अध्याय-चार

## संबंधित विषयों का विनियमन

६. संबंधित विषयों का विनियमन.

## अध्याय-पांच

## फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति

७. फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति का गठन.  
८. कार्यवाही का संचालन.  
९. फीस की वृद्धि एवं संबंधित विषयों के संबंध में शिकायतों का निपटारा.  
१०. प्रतिदाय का आदेश और शास्ति का अधिरोपण.

## अध्याय-छह

## फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति

११. फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति का गठन.  
१२. अपील का उपबंध.

## अध्याय-सात

## लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण

१३. लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण.

## अध्याय-आठ

## प्रकीर्ण

१४. नियम बनाने की शक्ति.  
१५. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.  
१६. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.  
१७. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.  
१८. २०१८ में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिये विशेष उपबंध.  
१९. निरसन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ६ सन् २०१८

मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम, २०१७

[ दिनांक १८ जनवरी, २०१८ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २५ जनवरी, २०१८ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि तथा उसके संग्रहण का विनियमन करने तथा उससे संसक्त एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक

प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ है. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
- (२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.
- (३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे.
२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं.
- (क) "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत है, कोई कालावधि, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट की जाए;
- (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम, १९६५ (क्रमांक २३ सन् १९६५) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मान्यता प्रदान करने या मान्यता का नवीकरण करने या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या किसी अन्य भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय की संबद्धता उपविधियों के अधीन संबद्धता के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी;
- (ग) "फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति" से अभिप्रेत है, धारा ७ की उपधारा (१) के अधीन गठित समिति;
- (घ) "फीस" से अभिप्रेत है, धारा ३ की उपधारा (१) में यथापरिभाषित फीस;
- (ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (च) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका या नगर पालिक निगम;
- (छ) "प्रबंधन" से अभिप्रेत है, प्रबंधन समिति या शासी निकाय या कोई व्यक्ति चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसे निजी विद्यालय के कार्यकलाप सौंपे जाते हैं;
- (ज) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
- (झ) "निजी हाई स्कूल" से अभिप्रेत है, कक्षा नौ से दस तक या कक्षा एक से दस तक की शिक्षा प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय और जो किसी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से संबद्ध हो;

- (ज) “निजी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, कक्षा ग्यारह से बारह या कक्षा एक से बारह तक की शिक्षा प्रदान करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय, और जो किसी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से संबद्ध हो;
- (ट) “निजी माध्यमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, कक्षा छह से आठ या कक्षा एक से आठ तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय और जो किसी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा निकाय से संबद्ध हो;
- (ठ) “निजी अल्पसंख्यक विद्यालय” से अभिप्रेत है, निजी विद्यालय जिसे सरकार के पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो;
- (ड) “निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, निजी विद्यालय जो तीन से छह वर्ष आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तर जैसे नर्सरी, जूनियर किन्डरगार्टन, सीनियर किन्डरगार्टन स्तर तक की शिक्षा प्रदान कर रहा हो अथवा जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, चाहे वह किसी निजी विद्यालय से संलग्न हो या न हो;
- (ढ) “निजी प्राथमिक विद्यालय” से अभिप्रेत है, कक्षा एक से पांच तक शिक्षा प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित निजी विद्यालय;
- (ण) “निजी विद्यालय” से अभिप्रेत है, कोई निजी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिसमें निजी अल्पसंख्यक विद्यालय, चाहे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा अर्द्धशासकीय संगठनों से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा हो या नहीं, सम्मिलित है, परन्तु इसमें केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय, कोई पूर्णतः आवासीय विद्यालय और राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित विद्यालय सम्मिलित नहीं होगा;
- (त) “संबंधित विषय” से अभिप्रेत है, विषय जैसे कि पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, वाचन सामग्री, स्कूल बैग, गणवेश, छात्रों के लिये परिवहन प्रदान करना और समस्त ऐसे विषय जो छात्र या उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निजी विद्यालय को धनराशि संदत्त करने का कारण बनें;
- (थ) “फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति” से अभिप्रेत है, धारा ११ की उपधारा (१) के अधीन गठित समिति.

### अध्याय-दो

### फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक

फीस एवं फीस में वृद्धि के निर्धारण हेतु घटक.

३. फीस से अभिप्रेत है, किसी निजी विद्यालय द्वारा किसी भी कक्षा या अध्ययन पाठ्यक्रम में किसी छात्र के प्रवेश के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संग्रहीत राशि चाहे वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, और जिसमें :-

- (क) शिक्षण फीस,  
 (ख) पुस्तकालय फीस,  
 (ग) वाचनालय फीस,  
 (घ) खेल फीस,  
 (ङ) प्रयोगशाला फीस,  
 (च) कम्प्यूटर फीस,  
 (छ) काशन मनी,  
 (ज) परीक्षा फीस,  
 (झ) अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिये फीस जैसे राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव, खेल-कूद स्पर्धा,

- (ज) प्रवेश फीस,
- (ट) पंजीकरण, विवरण पत्रिका, प्रवेश आवेदन प्ररूप के लिये फीस,
- (ठ) कोई अन्य राशि जिसका संदाय किया जाना छात्र के लिए आज्ञापक हो,
- (ड) छात्रों द्वारा संदेय कोई अन्य राशि, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, सम्मिलित है.

(२) फीस में वृद्धि का विनिश्चय करते समय फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला अथवा राज्य स्तरीय समिति द्वारा, यथास्थिति, फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित घटकों पर विचार किया जाएगा :—

- (क) भूमि, भवन एवं उससे संलग्न फिक्सचर की कीमत;
- (ख) छात्रों की संख्या;
- (ग) अध्ययन संकाय;
- (घ) अधोसंरचना एवं उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर संस्था द्वारा किया गया व्यय;
- (ङ) प्रशासन तथा अनुरक्षण पर व्यय;
- (च) केन्द्र सरकार की नीति के अनुपालन में कमजोर वर्ग तथा वंचित समूहों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर व्यय;
- (छ) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृंद की संख्या एवं उनकी अर्हताएं;
- (ज) निजी विद्यालय के विकास हेतु आरक्षित की गई धारा ५ की उपधारा (२) में यथा-विनिर्दिष्ट व्यय पर वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता;
- (झ) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृंद का वेतन;
- (ञ) सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी सहायता जैसे कि भूमि, अनुदान;
- (ट) छात्र-शिक्षक अनुपात; और
- (ठ) कोई अन्य घटक, जो विहित किए जाएं.

#### अध्याय-तीन

### फीस में वृद्धि के विनियमन हेतु प्रक्रिया

४. (१) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ९० दिवस के भीतर, समस्त निजी विद्यालय पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखे ऐसी रीति में प्रस्तुत करेंगे जैसी कि विहित की जाए.

लेखाओं की प्रस्तुति एवं फीस में वृद्धि के प्रस्ताव हेतु प्रक्रिया.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति ऐसे निजी विद्यालयों, जिनके व्यय पर वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता उनके संपरीक्षित लेखों के अनुसार १० प्रतिशत से कम है, के लेखों का निरीक्षण कर सकेगी.

(३) प्रत्येक निजी विद्यालय का प्रबंधन आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिये प्रस्तावित फीस संरचना ऐसे दस्तावेजों एवं लेखों के साथ प्रस्तुत करेगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(४) इसमें ऊपर उपधारा (३) के अधीन प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पांच हजार रुपए से अनधिक राशि के साथ होगा जो ऐसे खाते में और ऐसी रीति में निक्षेपित की जाएगी जैसी की विहित की जाए.

५. (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति फीस नियत नहीं करेगी किन्तु फीस में वृद्धि को विनियमित करेगी.

फीस में वृद्धि का विनियमन.

(२) उस वर्ष की वार्षिक प्राप्तियों की अधिकता को बनाए रखने के लिए, जिसके लिए उसी वर्ष हेतु व्यय पर फीस प्रस्तावित है, ऐसी वार्षिक प्राप्तियों के १५ प्रतिशत के भीतर फीस में वृद्धि विनियमित की जाएगी.

(३) इसमें ऊपर उपधारा (२) के प्रावधानों के अध्ययधीन रहते हुए :

- (क) प्रबंधन पूर्ववर्ती वर्ष के लिये नियत फीस के १० प्रतिशत तक फीस में वृद्धि कर सकेगा;

- (ख) फीस की वृद्धि की मात्रा, जहां ऐसी प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष में प्रभारित फीस के १० प्रतिशत से अधिक है, को विनिश्चित करने के लिये फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति अधिकृत होगी :

परन्तु यदि फीस में प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है तो जिला समिति उसे अपनी टिप्पणियों के साथ फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति के पास उसके विनिश्चय के लिये भेजेगी;

- (ग) जहां फीस की प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है वहां फीस की वृद्धि की मात्रा को विनिश्चित करने के लिये राज्य फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति अधिकृत होगी.

(४) निजी विद्यालय का प्रबंधन, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्तुत किए गए फीस की वृद्धि के अपने प्रस्ताव में, धारा ३ की उपधारा (१) में उपबंधित फीस की मदों के विरुद्ध संदेय राशि का उल्लेख करेगा.

(५) निजी विद्यालय का प्रबंधन या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनिश्चित फीस से अधिक फीस संग्रहीत नहीं करेगा.

(६) निजी विद्यालय का प्रबंधन किसी छात्र, माता-पिता या अभिभावक से किसी भी नाम से कोई दान या प्रति व्यक्ति फीस प्राप्त नहीं करेगा.

(७) निजी विद्यालय फीस के निक्षेप के लिये बैंक खाता अभिहित करेगा और इस प्रकार निक्षेप की गई फीस की रसीद, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, छात्र, माता-पिता या अभिभावक को प्रदान की जाएगी.

#### अध्याय-चार

#### संबंधित विषयों का विनियमन

संबंधित विषयों का विनियमन.

६. संबंधित विषय ऐसी रीति में विनियमित किए जाएंगे जैसी कि विहित की जाए.

#### अध्याय-पांच

#### फीस तथा अन्य विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति का गठन.

७. (१) फीस एवं अन्य संबंधित विषयों को विनियमित करने के लिये एक जिला समिति होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- |     |   |   |            |
|-----|---|---|------------|
| (क) | जिला कलक्टर   | — | अध्यक्ष    |
| (ख) | जिला कोषालय अधिकारी   | — | सदस्य      |
| (ग) | जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट सहायक संचालक से अनिम्न स्तर का कोई अधिकारी. | — | सदस्य      |
| (घ) | जिला शिक्षा अधिकारी   | — | सदस्य सचिव |

- (२) समिति की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी.

८. (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निजी विद्यालय के प्रबंधन द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों एवं लेखा का परीक्षण करेगी।

कार्यवाही का संचालन.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, ऊपर उल्लिखित उपधारा (१) में उद्धृत अभिलेखों का परीक्षण और ऐसे बिन्दुओं पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त कर सकेगी, जैसे कि समिति द्वारा निर्धारित किए जाएं।

(३) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, निजी विद्यालय के प्रबंधन से ऐसी अतिरिक्त सूचना मंगा सकेगी जो कि विनिश्चय करने के लिए वह आवश्यक समझती है।

(४) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, प्रबंधन तथा उक्त विद्यालय में प्रवेश दिए गए छात्रों और छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी।

(५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव पर, प्रस्ताव की प्राप्ति के ४५ दिन के भीतर विनिश्चय करेगी:

परन्तु ४५ दिनों की इस कालावधि की गणना करने में इसमें ऊपर उपधारा (३) के अधीन अतिरिक्त जानकारी देने में निजी विद्यालय द्वारा लिया गया समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(६) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन प्राप्त प्रस्ताव को टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव की प्राप्ति के ७ दिनों के भीतर फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति को अग्रेषित करेगी, यदि फीस की प्रस्तावित वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के १५ प्रतिशत से अधिक है।

९. (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रबंधन द्वारा उल्लंघन के संबंध में, उस निजी विद्यालय के किसी छात्र के माता-पिता या अभिभावक या छात्र द्वारा की गयी शिकायत की जांच करेगी, जिसमें कि छात्र अध्ययन कर रहा हो।

फीस की वृद्धि एवं संबंधित विषयों के संबंध में शिकायतों का निपटारा.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगी और उसकी जांच कर सकेगी।

(३) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, ऐसे निजी विद्यालय के परिसर में, जिसके विरुद्ध ऊपर उल्लिखित उपधारा (१) एवं (२) के अधीन जांच संस्थित की गई है, प्रवेश के लिए सहायक संचालक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

(४) ऊपर उल्लिखित उपधारा (३) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसे, दस्तावेजों की, जो जांच के संचालन के लिए आवश्यक और सुसंगत प्रतीत हों, तलाशी, निरीक्षण और जप्ती करेगा।

(५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, अपने कृत्यों का निर्वहन ऐसी रीति में करेगी जैसी कि विहित की जाए और उसे जांच के प्रयोजन हेतु वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन किसी सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) किसी साक्षी को समन कराना तथा उसे हाजिर होने को विवश करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतिकरण करने की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना; और
- (घ) साक्षी के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना।

(६) समिति ऐसे निजी विद्यालय के प्रबंधन को, जिसके विरुद्ध जांच संस्थित की गयी है, सुनवाई का अवसर देगी।

प्रतिदाय का आदेश और शास्ति का अधिरोपण.

१०. (१) धारा ९ के अधीन फीस में वृद्धि के संबंध में जांच की पूर्णता पर, यदि फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति यह पाती है कि धारा ५ के अधीन अनुज्ञात फीस से अधिक फीस संग्रहीत की गई है तो यह उक्त निजी विद्यालय के प्रबंधन को उन छात्रों या उनके माता-पिता या अभिभावकों को, जिनसे कि ऐसी फीस संग्रहीत की गई है, प्रतिदाय करने का निदेश देगी.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इसमें ऊपर उपधारा (१) के अधीन प्रतिदाय के आदेश के अतिरिक्त उक्त निजी विद्यालय के प्रबंधन पर, जहां प्रतिदाय का आदेश पहली बार जारी किया गया है वहां दो लाख रुपए तक की शास्ति और जहां प्रतिदाय का आदेश दूसरी बार जारी किया गया है वहां चार लाख रुपए तक की शास्ति और प्रतिदाय के पश्चात्पूर्वी आदेशों के लिए छह लाख रुपए तक की शास्ति अधिरोपित करेगी.

(३) धारा ९ के अधीन संबंधित विषयों के संबंध में जांच की पूर्णता पर, यदि फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति पाती है कि प्रबंधन ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो यह निजी विद्यालय के प्रबंधन को विहित रीति में इसके द्वारा यथा अवधारित राशि, ऐसे छात्रों या उनके माता-पिता अथवा अभिभावकों को, जिनसे कि यह संग्रहीत की गई है, प्रतिदाय करने का निदेश देगी.

(४) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इसमें ऊपर उपधारा (३) के अधीन प्रतिदाय के आदेश के अतिरिक्त, इसमें ऊपर उपधारा (२) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगी.

(५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, इसमें ऊपर उपधारा (२) एवं (४) के उल्लिखित शास्ति के अधिरोपण के अतिरिक्त, उक्त निजी विद्यालय की मान्यता को निलंबित या रद्द करने की अनुशंसा भी सक्षम प्राधिकारी को कर सकेगी.

(६) यदि निजी विद्यालय का प्रबंधन इसमें ऊपर उपधारा (१) एवं (३) में यथाआदेशित राशि के प्रतिदाय या इसमें उपधारा (२) एवं (४) के अधीन अधिरोपित शास्ति का भुगतान करने में असफल रहता है, तो फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति, राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगी और इस तरह वसूल की गई राशि, आदेश में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों को संदत्त की जाएगी और शास्ति ऐसी रीति में निक्षिप्त की जाएगी, जैसी की विहित की जाए.

#### अध्याय—छह

#### फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति

फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति का गठन.

११. (१) धारा ५ की उपधारा (३) के खण्ड (ग) के अधीन फीस की वृद्धियों के प्रस्तावों पर विनिश्चय करने के लिए और फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए एक फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य फीस समिति होगी.

(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) आयुक्त, लोक शिक्षण	अध्यक्ष
(ख) अतिरिक्त मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र या केन्द्र के मिशन संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी.	सदस्य
(ग) संयुक्त संचालक (वित्त), लोक शिक्षण	सदस्य
(घ) मुख्य अभियंता, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	सदस्य
(ङ) संचालक, लोक शिक्षण	सदस्य सचिव.

(३) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति की गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी.

(४) धारा ८ की उपधारा (१) से (५) तक के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तन सहित राज्य फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति को लागू होंगे.

अपील का उपबंध.

१२. (१) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में अपील का विनिश्चय करेगी जैसी की विहित की जाए.



(२) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति फीस संबंधित विषयों के विनियमन हेतु जिला समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति को घटा या बढ़ा सकेगी।

अध्याय—सात  
लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण

१३. निजी विद्यालयों का प्रबंधन, लेखाओं तथा अभिलेखों का ऐसे प्ररूप तथा रीति में अनुरक्षण करेगा जैसी कि विहित की जाए।

लेखाओं का विनियमन तथा अभिलेखों का अनुरक्षण।

अध्याय—आठ  
प्रकीर्ण

१४. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के अध्यक्षीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।

१५. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

१६. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए फीस तथा संबंधित विषयों के हेतु जिला अथवा राज्य समिति के अध्यक्ष या सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

१७. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसे ही अवसर उद्भूत हो, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई भी ऐसी कार्यवाही कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन हेतु उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो:

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा।

१८. (१) इस अधिनियम के किसी उपबंध के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निजी विद्यालय के प्रबंधन पर २०१८ में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस, पूर्ववर्ती वर्ष में प्रभारित फीस के १० प्रतिशत के भीतर रखने का प्रतिबंध अधिरोपित कर सकेगी।

२०१८ में प्रारंभ होने वाले शैक्षणिक वर्ष के लिए विशेष उपबंध।

(२) धारा ९, १०, ११ और १२ के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस धारा के उल्लंघन पर लागू होंगे।

१९. मध्यप्रदेश अशासकीय विद्यालय विनियमन अधिनियम, १९७५ (क्रमांक ३३ सन् १९७५) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

निरसन।

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018

क्र. 1433-25-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 6 सन् 2018) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव।

**MADHYA PRADESH ACT  
NO. 6 OF 2018  
THE MADHYA PRADESH NIJI VIDYALAYA (FEES TATHA SAMBANDHIT VISHAYON KA VINIYAMAN)  
ADHINIYAM, 2017**

**TABLE OF CONTENTS**

**CHAPTER I  
PRELIMINARY**

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

**CHAPTER II  
FEE AND FACTORS FOR DETERMINATION OF INCREMENT OF FEE**

3. Fee and factors for determination of fee.

**CHAPTER III  
PROCESS FOR REGULATION OF INCREMENT IN FEE**

4. Process for submission of accounts and proposal of increment in fee.
5. Regulation of increment in fee.

**CHAPTER IV  
REGULATION OF RELATED ISSUES**

6. Regulation of related issues.

**CHAPTER V  
DISTRICT COMMITTEE FOR REGULATING FEE AND RELATED ISSUES**

7. Constitution of District Committee for Regulating Fee and Related Issues.
8. Conduct of proceeding.
9. Disposal of complaints regarding increment of fee and related issues.
10. Order of refund and imposition of penalty.

**CHAPTER VI  
STATE COMMITTEE FOR REGULATING FEE AND RELATED ISSUES**

11. Constitution of State Committee for Regulating Fee and Related Issues.
12. Provision of appeal.

**CHAPTER VII  
REGULATION OF ACCOUNTS AND MAINTENANCE OF RECORDS**

13. Regulation of accounts and maintenance of records.

**CHAPTER VIII  
MISCELLANEOUS**

14. Power to make rules.
15. Act to have overriding effect.
16. Protection of action taken in good faith.
17. Power to remove difficulties.
18. Special provision for academic year beginning in 2018.
19. Repeal.

MADHYA PRADESH ACT  
NO. 6 OF 2018

THE MADHYA PRADESH NIJI VIDYALAYA (FEES TATHA SAMBANDHIT VISHAYON KA VINIYAMAN) ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 18th January, 2018; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th January, 2018.]

**An act to provide for the regulation of increment in fee and collection thereof by private schools in the State of Madhya Pradesh and matters connected therewith and incidental thereto.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I  
PRELIMINARY

1 (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vidyalaya (Fees Tatha Sambandhit Vishayon Ka Viniyaman) Adhiniyam, 2017.

**Short title,  
extent and  
commencement.**

(2) It extends to whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

**Definitions**

- (a) "academic year" means any period that may be so specified by the State Government;
- (b) "competent authority" means the authority authorized to give recognition or renew recognition under the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Adhiniyam 1965 (No. 23 of 1965) and rules made thereunder or give affiliation under the affiliation by laws of the Central Board of Secondary Education or any other Indian or international examination body;
- (c) "District Committee for Regulating Fee and Related Issues" means the Committee constituted under sub-section (1) of Section 7;
- (d) "fee" means fee as defined in sub-section (1) of Section 3;
- (e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (f) "local authority" means the Gram Panchayat, Janpad Panchayat, Zila Panchayat, Nagar Parishad, Municipality or Municipal Corporation;
- (g) "management" means the management committee or the governing body or a person, by whatever name called, to whom the affairs of the private school are entrusted;
- (h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (i) "private high school" means the private school approved by the competent authority to impart education from class IX to X or from Class I to X, and is affiliated to any Indian or International examination body;
- (j) "private higher secondary school" means the private school approved by the competent authority to impart education from class XI to XII or from Class I to XII, and is affiliated to any Indian or International examination body;

- (k) "private middle school" mean the private school approved by the competent authority to impart education from class VI to VIII or from class I to VIII and is affiliated to any Indian or International examination body;
- (l) "private minority school" means the private school which has been issued the minority status certificate by the Backward Classes and Minorities Welfare Department of the Government;
- (m) "private pre-primary school" means the private school providing early childhood care and education up to pre-primary school level to children of three to six years of age such as Nursery, Junior Kindergarten, Senior Kindergarten level or by whatever name called, whether attached to any private school or not;
- (n) "private primary school" means the private school approved by the competent authority to impart education from class I to V level;
- (o) "private school" means any private pre-primary, primary, middle, high school or higher secondary school including private minority school, whether or not receiving any financial assistance from the Central Government or State Government or local authority or public sector undertakings or semi-government organizations, but does not include a school imparting only religious education, a fully residential school and a school run by the State Government or any local authority;
- (p) "related issues" means issues such as providing textbooks, stationery, reading material, school bags, uniform, transport to the students and all such issues which cause the student or his parent or guardian to pay a sum of money directly or indirectly to the private school;
- (q) "State Committee for Regulating Fee and Related Issues" means the Committee constituted under sub-section (1) of Section 11.

## CHAPTER II

### FEE AND FACTORS FOR DETERMINATION OF INCREMENT IN FEE

Fee and factors for determination of increment in fee.-

3. (1) Fee means any amount by whatever name called, collected directly or indirectly by a private school for admission of student to any standard or course of study, and shall include:-
- (a) Tuition fee,
- (b) Library fee,
- (c) Reading Room Fee,
- (d) Games Fee,
- (e) Laboratory Fee,
- (f) Computer Fee,
- (g) Caution Money,
- (h) Examination Fee,
- (i) Fee for programs organized on occasions such as national festivals, annual functions, sporting events,
- (j) Admission Fee,
- (k) Fee for registration, prospectus and admission form,
- (l) any other amount which is mandatory for the student to pay,

(m) any other amount payable by students, which may be prescribed by the Government.

(2) The following factors shall be considered by the District or State Level Committee for Regulating Fee and Related Issues, as the case may be, while deciding increment in fee:—

- (a) the cost of the land, building and fixtures appurtenant thereto;
- (b) number of students;
- (c) streams of study;
- (d) expenditure incurred by the institution on the infrastructure and facilities provided;
- (e) expenditure on administration and maintenance;
- (f) expenditure on providing free education to the weaker sections and disadvantaged groups in compliance of the Central Government policy;
- (g) number of teaching and non-teaching staff and their qualifications;
- (h) excess of annual receipts over expenditure as specified in sub-section (2) of Section 5, reserved for the development of the private school;
- (i) salary of teaching and non-teaching staff;
- (j) assistance provided by the Government such as land, grants;
- (k) student teacher ratio, and
- (l) any other factor as may be prescribed.

### CHAPTER III PROCESS FOR REGULATION OF INCREMENT IN FEE

4.(1) Within 90 days of commencement of this Act, all private schools shall submit the audited accounts of the preceding three years in such manner as may be prescribed.

**Process for submission of accounts and proposal of increment in fee.-**

(2) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues may inspect the accounts of such private school whose excess of annual receipts over expenditure as per its audited accounts is less than 10%.

(3) The management of every private school shall submit the proposed fee structure for the ensuing academic year with such documents and accounts as may be prescribed.

(4) The proposal submitted by the management under sub-section (3) above shall be accompanied by an amount not exceeding five thousand rupees, which shall be deposited in such account and in such manner as may be prescribed.

5. (1) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues shall not fix the fee but shall regulate the increment in fee.

**Regulation of increment in fee.-**

(2) The increment in fee shall be regulated to keep excess of annual receipts of the year for which the fee is proposed over expenditure for the same year, within 15 percent of such annual receipts.

(3) Subject to the provisions of sub-section (2) here in above:

- (a) the management may increase the fee up to 10 percent of the fee fixed for the preceding year;
- (b) the District Committee for Regulating Fee and Related Issues shall be authorized to decide quantum of the increment of fee where such proposed increment is more than 10 percent of the fee charged in the preceding year :

Provided that if the proposed increment in fee is more than 15 percent of the preceding year, the District Committee shall send the same along with its comments to the State Committee for Regulating Fee and Related Issues for its decision;

(c) the State Committee for Regulating Fee and Related Issues shall be authorized to decide the quantum of increment of fee where the proposed increment of fee is more than 15 percent of the preceding year.

(4) The management of a private school shall in its proposal of increment of fee submitted under sub-section (3) of Section 4 mention the amount payable against the items of fee provided in sub-section(1) of Section 3.

(5) The management of a private school or any person on its behalf shall not collect fee in excess of the fee decided under the provisions of this Act.

(6) The management of a private school shall not receive any donation or capitation fee under any name whatsoever, from any student, parent or guardian.

(7) The private school shall designate the bank account for depositing the fee and receipt of the fee so deposited shall be given to the student, parent or guardian in such manner as may be prescribed.

#### CHAPTER IV REGULATION OF RELATED ISSUES

Regulation of  
related issues

6. The related issues shall be regulated in such manner as may be prescribed.

#### CHAPTER V DISTRICT COMMITTEE FOR REGULATING FEE AND RELATED ISSUES

Constitution of  
District  
Committee for  
Regulating Fee  
and Related  
Issues

7. (1) There shall be a District Committee for Regulating Fee and Related issues consisting of the following members, namely.—

- |     |   |                    |
|-----|---|--------------------|
| (a) | District Collector  | - Chairperson      |
| (b) | District Treasury Officer   | - Member           |
| (c) | An officer not below the level of Assistant<br>Director nominated by District Collector | - Member           |
| (d) | District Education Officer  | - Member Secretary |

(2) The quorum of the Committee shall be of three members.

Conduct of  
proceeding

8. (1) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues on receiving the proposal under sub-section (3) of Section 4 shall examine the documents and account presented before it by the management of the private school.

(2) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues may appoint a Chartered Accountant to examine the records mentioned in sub-section (1) above and submit his report on such points as may be determined by the Committee.

(3) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues may call for additional information from the management of private school that it considers necessary for taking a decision.

(4) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues shall give reasonable opportunity of hearing to the management, students and the parents or guardians of the students admitted in the said school.

(5) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues shall take a decision on the proposal received under sub-section (3) of Section 4, within 45 days of the receipt of the proposal:

Provided that time taken by the private school in furnishing additional information under sub-section (3) above shall not be included in calculating this period of 45 days.

(6) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues shall forward the proposal received under sub-section (3) of Section 4 with comments to the State Committee for Regulating Fee and Related Issues, if the proposed increment of fee is more than 15 percent of preceding year, within seven days of the receipt of the proposal.

9. (1) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues shall enquire into a complaint made by a parent or guardian of a student or a student, regarding violation of any provision of this Act and the rules made thereunder, committed by the management of the private school in which the student is studying.

**Disposal of complaints regarding increment of fee and related issues.**

(2) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues may take suo motu cognizance of violation of any provision of this Act and the rules made thereunder and inquire into the same.

(3) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues may authorize any officer not below the rank of Assistant Director to enter the premises of the private school against whom inquiry has been instituted under sub-section (1) and (2) above.

(4) The officer authorized under sub-section (3) above, shall search, inspect and seize documents, which appear necessary and relevant for the conduct of inquiry.

(5) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues may discharge its functions in such manner as may be prescribed and shall for purpose of making any inquiry have the powers of a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

- (a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
- (b) requiring the disclosure and production of any document;
- (c) receiving evidence on affidavit; and
- (d) issue Commission for examination of witnesses.

(6) The Committee shall give opportunity of hearing to the management of the private school against whom inquiry has been instituted.

10. (1) If on completion of the inquiry regarding increment in fee under Section 9, the District Committee for Regulating Fee and Related Issues finds that fee in excess of that permitted under Section 5 has been collected, it shall direct the management of the said private school to refund the same to the students or their parent or guardians from whom it has been collected.

**Order of refund and imposition of penalty.**

(2) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues shall in addition to the order of refund under sub-section (1) herein- above, impose a penalty upto rupees two lakhs on the management of the said private school where order of refund has been issued for the first time and penalty upto rupees four lakhs where order of refund is issued for second time and upto rupees six lakhs for subsequent orders of refund.

(3) If on completion of the inquiry regarding related issues under Section 9, the District Committee for Regulating Fee and Related Issues finds that the management has violated the provisions of this Act and the rules made thereunder, it shall direct the management of the private school to refund an amount as determined by it in the manner prescribed, to the students or their parents or guardians from whom it has been collected.

(4) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues in addition to the order of refund under sub-section (3) above shall impose penalty as per provisions of sub-section (2) herein- above.

(5) The District Committee for Regulating Fee and Related Issues in addition to imposition of penalty mentioned in sub-section (2) and (4) above may also make recommendation to the competent authority to suspend or cancel the recognition of the said private school.

(6) If the management of the private school fails to refund the amount as ordered in sub-section (1) and (3) above or pay penalty imposed under sub-section (2) and (4) above, the District Committee for Regulating Fee and Related Issues shall proceed to recover the amount as an arrear of land revenue and the amount so recovered shall be paid to such persons mentioned in the order and the penalty deposited in such manner as may be prescribed.

#### CHAPTER VI

##### STATE COMMITTEE FOR REGULATING FEE AND RELATED ISSUES

**Constitution of State Committee For Regulating Fee and Related Issues.**

11. (1) There shall be a State Committee for Regulating Fee and Related Issues to decide on the proposals of increments of fee under clause (c) of sub-section (3) of section 5 and to hear the appeal against the orders of the District Committee for Regulating Fee and Related Issues.

(2) The State Committee for Regulating Fee and Related Issues shall consist of the following members, namely:-

- |     |  |   |                  |
|-----|--|---|------------------|
| (a) | Commissioner of Public Instruction   | - | Chairperson      |
| (b) | Additional Mission Director, State Education Center or an Officer nominated by Mission Director of the Center. | - | Member           |
| (c) | Joint Director (Finance), Public Instruction   | - | Member           |
| (d) | Chief Engineer, State Education Centre, Bhopal   | - | Member           |
| (e) | Director of Public Instruction   | - | Member-Secretary |

(3) The quorum of the State Committee for Regulating Fee and Related Issues shall be of three members.

(4) The provisions of sub-section (1) to (5) of sections 8 shall *mutatis mutandis* apply to the State Committee for Regulating Fee and Related Issues.

**Provision of Appeal.**

12. (1) The State Committee for Regulating Fee and Related Issues shall decide the appeal within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) The State Committee for Regulating Fee and Related Issues may reduce or increase the penalty imposed by the District Committee for Regulating Fee and Related Issues.

#### CHAPTER VII

##### REGULATION OF ACCOUNTS AND MAINTENANCE OF RECORDS

**Regulation of accounts and maintenance of records.**

13. The management of private schools shall maintain the accounts and records in such form and manner as may be prescribed.

#### CHAPTER VIII

##### MISCELLANEOUS

**Power to make rules.**

14. (1) The State Government may, subject to previous publication, by notification in the official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Section shall be laid before the State Legislative Assembly.



15. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

**Act to have overriding effect.**

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Chairperson or member of the District or the State Committee for Regulating Fee and Related Issues, for any order made by it or in respect of anything done in good faith or intended to be done under this Act and the rules made thereunder.

**Protection of action taken in good faith.**

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in the official Gazette do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

**Power to remove difficulties.**

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislative Assembly.

18. (1) Notwithstanding any provision of this Act, the State Government may, by notification published in the official Gazette, impose a restriction on the management of the private school to keep the fee for the academic year beginning in 2018, within 10 percent of fee charged in the preceding year.

**Special provision for academic year beginning in 2018.**

(2) The provisions of sections 9, 10, 11 and 12 shall *mutatis mutandis* apply to the violation of this section.

19. The Madhya Pradesh Ashaskiya School Viniyaman Adhiniyam, 1975 (No. 33 of 1975) is hereby repealed.

**Repeal.**